

FORM NO. III  
**फर्द अहकाम**  
 नियम (26)

APP-A  
 CRM-I

अज अदालत ~~सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी~~ मुकाम ~~अप्राप्त~~  
 प. ग. नं. 11/1 वनाम ~~अ. नं. 11/1~~  
 किस्म मुकदमा नं. 55 सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
23.11.2022	<p>कील सली चौरा परीकर सनकार हाथ पसप सले नही बन्ह रेखा जाता है। बहस सार्वना पत्र पूरी गरी। संक्षिप्त ने निम्न सत प्रसार है। डि मोना पावडरके पठ ह० रेखिया की आ० स० 1.6 इना 0.7.8 हेक्टर से जे 0.3.8 हे० पर सार्वना कर्ता है। इ कर्ते के आधार पर सार्वना के पृष्ठ के वाहस प्रस्तुत किया है। अप्रती-नेखा 2 के द्वारा पार 01 स० 12 स० स० स० स० स० स० की कर्तव्यी पर सार्वना के कर्ते से हटाकर बेपरक करने पर आलाभ है। मत: अस्था। निवेदनाने पाबन्ह किने परने निवेदन किया पने सम्पूर्ण पत्रावली का अकलगत किया डि गरि बहस पर अनन किया। आ० स० 1.6 बिलाना 12/1 है। सत पर पार 01 की कर्तव्यी किया जाना उचित है। सति यह कर्तव्यी प्रक्रिया है। सत कर्ते के आधार पर अस्था। निवेदनाने पाबन्ह पावडरके नही है। कर्तव्यी उचिताना, सुविधा अनुदान व अनुशासित शक्ति सार्वना के पत्र में ली बनता है। सार्वना का सार्वना पत्र सार्वना के से स्वारीत किया जाता है। सार्वना के पत्र सत हीकर सन्कर के कर्तव्यी कर्ते प्रसार गया।</p>	

*(Signature)*  
 सहायक कलक्टर  
 उपखण्ड अधिकारी,  
 कवासन जिला-चित्तौड़गढ़